

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, जौनपुर में नगर की सफाई हेतु वित्तीय वर्ष:-2020-21 के दृष्टिगत नगर की सफाई व्यवस्था हेतु राज्य वित्त आयोग अथवा बोर्ड फण्ड निधि से चालू वित्तीय वर्ष के लिये 378 आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों की आपूर्ति हेतु वेबसाइट-<http://etender.up.nic.in> पर रजिस्टर्ड सेवाप्रदाता के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा की नियम व शर्तें उ० प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट से प्राप्त एवं देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र उ० प्र० ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट-<http://etender.up.nic.in>-ई-टेण्डर एन०आई०सी० से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है, निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन होने के दो दिन के बाद अपलोड की जायेगी, तकनीकी रूप से अर्ह होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा। निविदा मूल्य की धनराशि नगर पालिका कार्यालय के खाता संख्या:-08661010000040 ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिसका आई०एफ०सी०कोड ORBCO100866 में इंटरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS द्वारा जमा करना होगा, प्राप्त रसीद की स्कैन कॉपी कर निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा को अवैध माना जायेगा, साथ ही निविदा के साथ माँगी गयी निर्धारित जमानत की धनराशि रूपया:-4,10,000=00 की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में होगी, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के नाम बन्धक हो, निविदा के साथ संलग्न करेंगे, जिसे निविदा की फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि के पहले तक कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। निविदा खोलने में तिथि को अवकाश होने पर निविदा तिथि अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/मा० अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें तथा विस्तृत विवरण ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> एवं www.nppjaunpuronline.org नगर पालिका परिषद, जौनपुर की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

टेण्डर शेड्यूल (<http://etender.up.nic.in>पर)

1	ऑनलाईन निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	दिनांक 22-4-2020 अपरान्ह 04.00 बजे
2	ठेकेदार/फर्म द्वारा ऑनलाइन निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक:- 22-4-2020 अपरान्ह 05.00 बजे
3	ठेकेदार/फर्म द्वारा ऑनलाइन निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक:- 7-5-2020 अपरान्ह 03:00 बजे
4	निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक:- 8-5-2020 अपरान्ह 04:00 बजे

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	मासिक आगणन धनराशि	जमानत धनराशि (01 माह का 10 प्रतिशत)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित 18 प्रतिशत	श्रमिक आपूर्ति
1	नगर पालिका परिषद, जौनपुर में आउटसोर्सिंग सफाई श्रमिकों/ कार्मिकों की आपूर्ति।	378	40,62,657.06+ सर्विस चार्ज	4,10,000	4100+738 =4838	15 दिन

नियम व शर्तें:-

- 1- आयकर/व्यापार कर/जी०एस०टी०/श्रम विभाग, ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2- सेवा प्रदाता के सर्विस चार्ज पर ही टी०डी०एस० कटौती होगी। सर्विस चार्ज प्रोपराइटर की दशा में न्यूनतम 01 प्रतिशत में तथा फर्म की दशा में न्यूनतम 02 प्रतिशत से कम देय नहीं होगा। यदि किसी ठेकेदार द्वारा इससे कम सर्विस चार्ज पर निविदा डालता है तो वांछित टी.डी.एस. उसे स्वयं जमा करना होगा। न्यूनतम मजदूरी प्रति स्वच्छकार श्रम विभाग/नगर विकास की दर प्रतिदिन 308.18 रू० देय अनिवार्य होगा तथा न्यूनतम मासिक मानदेय रू० 308.18 में कोई कटौती ई०एस०आई०/ ई०पी०एफ० के अतिरिक्त पारिश्रमिक में नहीं की जायेगी।
- 3- बिना धनरोहर धनराशि के निविदाये मान्य नहीं होगी।

- 4- निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी होने पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा, जिसके साथ स्वीकृत सफाई मजदूरों की संख्या के अनुसार प्रति माह के पारिश्रमिक के धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर के नाम प्लेज्ड होगी, देना होगा।
- 5- निविदादाता द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग में पंजीकरण, ई.एस.आई. ई.पी.एफ. आदि प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- संस्था यदि पार्टनरशिप फर्म है तो संस्था का पैनकार्ड तथा पार्टनरों का पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रोपराईटरशिप संस्था की दशा में प्रोपराईटर अथवा संस्था के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
- 7- उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई मजदूरों की उम्र 19 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 8- ऐसे निविदादाता जिसके द्वारा पूर्व में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में श्रमिकों की आपूर्ति की गयी होगी, प्रमाण/शपथ प्रस्तुत करने पर उसे वरीयता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- 9- सफाई मजदूरों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
- 10- बिड नियमानुसार लागू आयकर/सरचार्ज कटौती के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
- 11- सफाई मजदूरों के सेवा कर एवं अन्य अंशदान जो नियमानुसार आवश्यक होगा, उसे नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा उस अंशदान को सम्बन्धित विभाग में जमा कर उसका प्रमाण-पत्र प्रतिमाह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12- निविदादाता को श्रम विभाग के विभागीय नियमों एवं नगर विकास के शासनादेश का पालन करना होगा।
- 13- यदि निविदादाता द्वारा स्वीकृत सफाई श्रमिकों की संख्या के अनुरूप सफाई श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में फर्म पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, जिसके लिये फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा। अर्थदण्ड की कटौती सम्बन्धित माह के बीजक से की जायेगी।
- 14- निविदा की दरों में स्पष्ट उल्लेख (अंको एवं शब्दों में) प्रतिदिन प्रति सफाई मजदूर होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
- 15- सेवा प्रदाता को समस्त सफाई मजदूरों का परिचय पत्र बनवाकर उन्हें उपलब्ध कराना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिन पूर्व सफाई मजदूर का नाम/पिता/पति का नाम, पता आधार कार्ड, फोटोयुक्त आई. कार्ड, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 नम्बर एवं स्थायी पते से सम्बन्धित सूची नगर पालिका परिषद, जौनपुर में जमा करना आवश्यक होगा।
- 16- सफाई कार्य का समय 08 घण्टे प्रतिदिन का होगा तथा अधिशासी अधिकारी/सफाई निरीक्षक द्वारा जो भी समय एवं स्थान निर्धारित किया जायेगा, वो मान्य होगा। सफाई कार्य 02 शिफ्टों एवं आवश्यकतानुसार व्यवसायिक स्थलों पर रात्रि को कार्य करना होगा।
- 17- कार्य स्थल का निर्धारण समय-समय पर सम्बन्धित सफाई निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- 18- सफाई कार्य से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपकरण यथा वर्दी, मास्क, ग्लब्स, हेलमेट, जुता एवं सफाई उपकरण यथा झाड़ू, फावड़ा, फरुही, तसला, इत्यादि पालिका द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- 19- निविदादाता का कोई भी कर्मचारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर का कर्मचारी नहीं माना जायेगा।
- 20- निविदादाता को चरित्र प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के स्तर से जारी जो 03 वर्ष से अधिक पुराना न हो, की छायाप्रति संलग्न करना होगा तथा निविदादाता के पास जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- निविदादाता एवं उसके अधीन सफाई से सम्बन्धित कर्मचारियों के विवाद का सम्बन्ध नगर पालिका परिषद जौनपुर से नहीं होगा।
- 22- किसी भी विवाद के निस्तारण का परिक्षेत्र आर्बिटेशन जौनपुर के अधीन होगा।
- 23- सशर्त निविदायेँ मान्य नहीं होगी।
- 24- टेण्डर नोटिस अथवा उपरोक्त शर्तों के न मानने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 25- फर्म को भारत वर्ष के किसी भी संस्था में ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, इस आशय का शपथ पत्र रू0-100/- के स्टैम्प पेपर पर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर निविदा के साथ देना होगा।

- 26- सफल निविदादाता को निविदा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और दूसरे या तीसरे निविदादाता से कार्य लेने पर विचार किया जायेगा। निविदा अन्तिम रूप से अनुबन्धित होने पर किसी भी निविदादाता की अर्नेस्ट मनी वापस नहीं की जायेगी अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
- 27- निविदादाता को सफाई मजदूरों के पारिश्रमिक के प्रत्येक माह का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अपने पास से करते हुए, उसके भुगतान प्रमाणक के साथ-साथ ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 चालान की सत्यापित प्रति व प्रति कर्मी का नाम, पिता का नाम, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 खाता संख्या सहित जमा की धनराशि का बीजक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत बीजक के अनुसार नगर पालिका द्वारा एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा।
- 28- केवल फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही विभाग/कार्यालय के साथ पत्राचार कर सकेगा एवं निविदा के सम्बन्ध में सम्पर्क करने के लिये अधिकृत होगा।
- 29- उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों के सम्बन्ध में जो भी सूचना विभाग को आवश्यक होगी उसे तीन दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 30- अधिशासी अधिकारी/मा0 अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह स्वीकृत निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्न परिस्थितियों में बदल सकते हैं/रद्द कर सकते हैं। निविदा निम्न परिस्थितियों में रद्द होने की दशा में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पर विचार नहीं होगा।
- (क) यदि फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्य करना नहीं पाया गया अथवा मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया अथवा वित्तीय अनियमितता किया हो।
- (ख) यदि फर्म दीवालिया हो जाए।
- (ग) यदि फर्म समय से कार्य पूर्ण करने में असफल रहती है।
- (घ) यदि अन्य कोई विधिक बाध्यता इस प्रकृति की आ जाए कि शासन/नगरपालिका परिषद जौनपुर निविदा को आगे न चला सकें।
- (ङ) किसी प्रकार की अपराधिक प्रकृति के कार्य होने की स्थिति में।
- 31- अधिशासी अधिकारी/मा0 अध्यक्ष को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- 32- नगर पालिका परिषद, जौनपुर में सेवा प्रदाता के माध्यम से पूर्व में सफाई कार्य हेतु इच्छुक अनुभवी सफाई श्रमिकों को वरियता दी जायेगी, किन्तु पालिका कर्मियों के ब्लड रिलेटिव न हो।
- 33- मासिक आगणन धनराशि में न्यूनतम मजदूरी पर ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. शामिल है तथा सर्विस चार्ज पात्र निविदा में दिये जाने के उपरान्त शामिल किया जायेगा।
- 34- श्रमिकों को मिनिमम वेज का भुगतान करना अनिवार्य होगा, तथा मिनिमम वेज पर टी.डी.एस. या अन्य कटौती नहीं जायेगा तथा टी.डी.एस. की कटौती सेवा प्रदाता के सर्विस चार्ज से की जायेगी तथा प्रोपराइटर द्वारा सर्विस चार्ज न्यूनतम 1 प्रतिशत से कम तथा फर्म द्वारा सर्विस चार्ज न्यूनतम 2 प्रतिशत से कम की निविदा पर टी.डी.एस. कटौती सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं देय होगी।

(हरिश्चन्द्र यादव)

सफाई निरीक्षक

न0पा0परि0 जौनपुर

पत्रांक:- 43/ह/स्वा/
प्रतिलिपि:-

(सतीश कुमार पाण्डेय)

लेखाकार

न0पा0परि0 जौनपुर।

(राजकिशोर प्रसाद)

अधिशासी अधिकारी

न0पा0परि0 जौनपुर।

दिनांक:- 20/04/2020

माया टंडन

अध्यक्ष

न0पा0परि0 जौनपुर।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व/प्र0अ0 (स्थानीय निकाय) जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. एन0आई0सी0 जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री हरिश्चन्द्र यादव (सफाई निरीक्षक) कम्प्यूटर विभाग नगर पालिका परिषद, जौनपुर को इस निर्देश के साथ उक्त निविदा का प्रकाशन ई-प्रेक्योरमेन्ट की बेवसाईट/इण्टरनेट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
6. पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(राजकिशोर प्रसाद)